प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
बस्ती।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-27 मार्च, 2015

विषयः- **जनपद बस्ती में अत्याधुनिक पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक एवं आवास तथा गैराज के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग के पत्र सं0-702/सा0-1/एक्स-85(175)/2014-15, दिनांक 17.03.2015 के साथ संलग्न आगणन को मूलरूप में प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद बस्ती में अत्याधुनिक पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक एवं आवास तथा गैराज के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0-638.55 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0-100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि प्राविधानित धनराशि की सीमा तक आवंटित अतिरिक्त परिव्यय को वित्तीय वर्ष के अंत में होने वाली बचतों में समायोजित किया जायेगा:-

1. प्रश्नगत कार्य हेतु 'उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0' कार्यदायी संस्था होगी, जिसे नियमानुसार अनुमन्य 12.50 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज देय होगा।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जाय।
5. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये।
6. प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का होगा।
7. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
10. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11. उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
12. अनुमोदित कार्य की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर शासन का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दि0-25.01.2011 के अनुसार निर्माण लागत में से लागत का 05 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.50 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि सम्बन्धित विभाग के प्राप्त लेखाशीर्षक में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।
14. प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत में 01 प्रतिशत लेबर सेस उपकर की धनराशि श्रम विभाग को वास्तविक रूप में भुगतान की जायेगी।
15. प्रश्नगत धनराशि के आहरण/व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0-22.07.2014 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-15 के अधीन आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-313/दस-2015, दि0-27.03.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(**सुरेन्द्र सिंह**)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-18/2015/673(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3।
7- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
8- श्रम अनुभाग-2/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in